नयी स्लैब प्रणाली में 7 कैटेगरी

गरीब व मध्यम परिवारों को मिलेगी बिजली बिलों में राहत

चंडीगढ़, 16 अक्तूबर (ट्रिब्यून)

हरियाणा राज्य बिजली विनियामक आयोग ने बिजली बिलों के स्लैब में बदलाव करते हुए सात स्लैब बनाए हैं। नये स्लैब से गरीब व मध्यम परिवारों को बिजली बिलों में हल्की राहत मिलेगी। 7 मई, 2015 के आदेशों के अनुसार स्लैब प्रणाली की 5 कैटेगरी थी। अब संशोधित कर दिया गया है।

उधर, बिजली बिलों में बढ़ोतरी व स्लैब प्रणाली में किए गए बदलाव को हरियाणा राज्य बिजली विनियामक आयोग में चुनौती देने वाले पूर्व वित्त मंत्री प्रो. संपत सिंह नये स्लैब से संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने आयोग के इस फैसले के खिलाफ एपिलेट ट्रिब्यूनल में पुनर्विचार याचिका डालने का फैसला लिया है। संपत सिंह ने कहा कि उनकी पुनर्विचार याचिका पर राज्य आयोग ने फैसला सुनाते समय 7 मई, 2015 वाले आदेश में कुछ बदलाव किए हैं, जिससे उपभोक्ताओं को हल्का फायदा होगा। उन्होंने कहा कि फरवरी से चला आ रहा उनका कानूनी संघर्ष व अन्य संस्थाओं द्वारा चलाए गए धरनों आदि का फायदा तो मिला लेकिन यह अभी अधूरा है। उपभोक्ताओं को संपूर्ण फायदा दिलाने के लिए वो अपना कानूनी संघर्ष सर्वोच्च न्यायालय तक जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि उनको इस बात से भी ऐतराज है कि आयोग ने ये फैसला सुनाते समय लागू होने की तारिख की भी घोषणा नहीं कि जबकि न्याय के लिए प्राकृतिक कानून के अनुसार यह फैसला पहली अप्रैल, 2015 से ही लागू होना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य बिजली विनियामक आयोग का आदेश स्वागत योग्य है। इस आदेश से घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बिलों पर 16.43 प्रतिशत तक की राहत मिलेगी। अब 101 से 500 यूनिट प्रति मास की बिजली खपत करने वाले उपभोक्ता को शुरुआती 150 यूनिट की खपत पर 50 पैसे प्रति यूनिट का लाभ मिलेगा। 500 से 800 यूनिट प्रतिमास की बिजली खपत करने वाले सभी उपभोक्ताओं को नये स्लैब से फायदा होगा।

यह था पुराना स्लैब

यूनिट	रेट
0-50	2.70
51-100	4.50

(101 यूनिट होते ही स्लैब बदल जाता था)

101-250	5.00
251-500	6.05

(500 यूनिट के बाद स्लैब फिर बदलता था)

500 से ज्यादा 6.75

(500 यूनिट से अधिक मासिक इस्तेमाल पर फ्लेट रेट 6 रुपये 75 पैसे प्रति यूनिट था)

(रेट प्रति यूनिट रुपये में)

यह है नया

यूनिट	रेट
0-50	2.70
51-100	4.50

(100 यूनिट से अधिक पर स्लैब फिर बदलेगा)

101-150	4.50
151-250	5.00
251-500	6.05
501-800	6.75

(800 यूनिट पूरी होने के बाद नया स्लैब)

801 से ज्यादा 6.75

(800 यूनिट से अधिक मासिक खपत करने वालों को पहले की तरह फ्लैट रेट देना होगा।

किसे कितनी राहत

पहले	अब	बचत
100 यूनिट तक		
360	360	नहीं
250 यूनिट तक		
1250	1175	75
500 यूनिट तक		
2762	2677	95
800 यूनिट तक		
5400	4702	698

80 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल करने वालों का पहले वाला स्लैब ही रहेगा। (राशि रु. में)

5 किश्तों में चुका सकेंगे बिल

जिन उपभोक्ताओं ने वर्तमान दर पर जारी बिजली बिलों का भुगतान नहीं किया है, उन्हें भी नई दर के अनुसार संशोधित बिल दिए जाएंगे। शेष उपभोक्ताओं को केवल नई दर के अनुसार ही बिल जारी किए जाएंगे तथा उन्हें बकाया राशि की अदायगी बिना किसी सरचार्ज के पांच किश्तों में करने की अनुमति होगी।

आंखों में धूल झोंक रही सरकार : अभय

बिजली बिलों को कम करने के बजाय सरकार ने स्लैब बनाकर लोगों की आंखों में धूल झोंकी है। जब तक सरकार बढ़ाई दरों व फ्यूल सरचार्ज को वापस नहीं लेती तब तक जनता संतुष्ट नहीं होगी। बिजली बिलों को लेकर हमारा विरोध जारी रहेगा।
- अभय चौटाला, नेता प्रतिपक्ष

बिजली बिलों की स्लैब प्रणाली में किए गए बदलाव से उपभोक्ताओं को कोई खास फायदा नहीं होगा। सरकार को चाहिए कि तुरंत बिजली की बढ़ाई गई कीमतों को वापस ले। उपभोक्ताओं से की जा रही एफएसए की वसूली भी बंद होनी चाहिए। हरियाणा में पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान से भी महंगी बिजली है। सरकार जनता की कमर तोड़ने पर तुली है। -किरण चौधरी, कांग्रेस विधायक दल की नेता

सरकार कई दिनों से राग अलाप रही थी कि जल्द ही उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी जाएगी। लेकिन आयोग का जो आदेश आया है, वह तो खोदा पहाड़ और निकली चुहिया जैसा है। उपभोक्ताओं को 5 रुपये से लेकर 50 रुपये तक की ही राहत मिलेगी।
-रणदीप सुरजेवाला, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता